प्रेस नोट दिनांक 31.10.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी की घटना का किया खुलासा — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का ई-रिक्शा बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 27.10.2025 को वादी, निवासी ग्राम नया पुरवा सराय किरत, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत करेठी अंडरपास से कुंडा साइड बीस लेन हाईवे मार्ग से अपने घर जा रहा था। रास्ते में करेंटी व बेंती बाईपास के मध्य उसने सड़क किनारे रुककर शौच हेतु गया, वापस आने पर उसका ई-रिक्शा संख्या UP72CT-0563 उक्त स्थान से गायब पाया गया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 299/2025, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 मो0 यूनुसमय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, हे का0 अरविन्द सिंह, हर्षवर्धन सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 299/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त उदित कुमार पटेल पुत्र पुत्तूलाल पटेल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी गौसनगर थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के ई-रिक्शा के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत गयासपुर प्लांट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद ई-रिक्शा बरामद किया गया है, बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 27.10.2025 को शाम के समय बेंती बाईपास के सर्विस लेन से चोरी करके गयासपुर प्लांट के आगे खड़ा कर दिया था जब मै आज उसको लेने आया था तो आप लोंगो ने पकड़ लिया मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. उदित कुमार पटेल पुत्र पुत्तूलाल पटेल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी गौसनगर थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 यूनुसमय हमराह उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, हे का0 अरविन्द सिंह, हर्षवर्धन सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज-

अपहरण के अभियोग से संबंधित थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 24/9/2025 को वादिनी ग्राम इब्राहिमपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री स्कूल पढ़ने गयी थी, स्कूल बाद घर वापस नही आयी थी। इस संबंध में थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 140/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के वादिनी की सूचना के आधार पर उ0नि0 यशवन्त यति मय हमराह का तेजप्रकाश व म0का0 प्रतिभा मौर्य द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 140/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम महपुरवा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच उम्र 21 वर्ष को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन परियावां कालाकांकर के पास नौचन्दी ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राकेश कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम महपुरवा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच उम्र 21 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 यशवन्त यति मय हमराह का तेजप्रकाश व म0का0 प्रतिभा मौर्य थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।